राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–6279 / 2022

अनिता पायल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित.) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.), पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिडावा, जिला झुन्झुनू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 15.12.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री दीपक विश्नोई, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को चुनोती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सीएचसी, सुल्ताना, जिला झुन्झुनू से उप केन्द्र केसुम्बकलां भाटियान, जिला बाडमेर में किया गया है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण उसको अधिशेष मानते हुए किया गया है एवं उसका स्थानान्तरण 600 किमी. दूर किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका तर्क है कि पूर्व में अपीलार्थी ने अधिकरण में उक्त आदेश को चुनोती देते हुए अपील संख्या 4668 / 2022 प्रस्तुत की थी, जिसका निस्तारण इस अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 01.11.2022 के द्वारा किया गया, जिसमें निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया कि :–

> ''बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना

अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।''

4. उक्त आदेश पारित होने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 01.12.2022 (अनुलग्नक–2) पारित कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त/अस्वीकार कर दिया। इसके उपरान्त अपीलार्थी द्वारा यह अपील पुनः उसी आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गयी है।
5. उनका तर्क है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सही प्रकार से निस्तारित नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने अपने अभ्यावेदन में जो बिन्दु उठाये थे, उसके सम्बन्ध में विचार नहीं किया गया है, बल्कि अभ्यावेदन इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि जिला झुन्झुनू में

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद रिक्त नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 एवं 01.12.2022 को अपास्त किया जावे।

6. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

7. पूर्व में अपीलार्थी का स्थानान्तरण दिनांक 03.09.2022 के आदेश द्वारा किया गया था, जिसमें अपीलार्थी को अधिशेष होना मानते हुए उसे स्थानान्तरित/पदस्थापित किया गया था। वर्तमान में जो अभ्यावेदन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निरस्त किया गया है, उसमें यह माना गया है कि जिला झुन्झुनू में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद रिक्त नहीं है। इसके अलावा यह भी माना गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अपीलार्थी का अभ्यावेदन स्वीकार किया जाना उचित हो। हमारे मत में अभ्यावेदन पर उचित प्रकार से विचार कर उसकों निस्तारित किया गया है।

8. अपीलार्थी ने इस अपील में यह भी तर्क उठाया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में किया गया है।

9. अपीलार्थी द्वारा उठायी गयी उक्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्व में जब अपील संख्या 4668/22 निर्णित की गयी थी, उसमें उस समय अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में उठाये गये आधार व अधिकारों का त्याग करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने का निवेदन किया गया था। ऐसे में वर्तमान में अब अपीलार्थी वे आधार उठाने से बाधित है, जो आधार उसके द्वारा पूर्व में अपील संख्या 4668/2022 में उठाये गये थे।

10. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)